

पत्रांक 10726
प्रेषक भा0स्का0गा0उ0/प्रा0मु0/10693- /2022-2023

दिनांक 18/09/2022

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

प्रेषित

जिला मुख्यायुक्त एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद-अल्मोड़ा/नैनीताल/पिथौरागढ़/बागेश्वर/चम्पावत/उधमसिंह नगर/देहरादून/
हरिद्वार/पौड़ी/चमोली/रूद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी/शान्तिकुंज हरिद्वार
विषय- पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क विषयक।
महोदय,

सूचित किया जाता है कि जनपदों में दल/कम्पनी/पैक/फ्लॉक/कू/टीम पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं किन्तु कतिपय जनपदों द्वारा दल/कम्पनी/पैक/फ्लॉक/कू/टीम पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया एवं विधि में संशय उत्पन्न हो रहा है। इस हेतु पुनः इस पत्र के साथ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयों, मदरसों, आई0सी0एस0सी0, सी0बी0एस0सी0 विद्यालयों, ओपन टूप/कम्पनी/कू/टीम, संस्कृत विद्यालयों हेतु ईकाई /ग्रुप पंजीकरण की जानकारी पुनः पत्र के साथ संलग्न आपको प्रेषित की जा रही है।

सभी जिला सचिवों से अनुरोध है कि कृपया संलग्न विवरणानुसार दलों का पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क प्रतिवर्ष 31 मार्च से पूर्व पंजीकृत विद्यालयों की सूची सहित प्रादेशिक मुख्यालय, 55 मोथरोवाला मार्ग, अजबपुर चौक, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न-शुल्क का विवरण

“उपयुक्त प्रशिक्षण, उपयोगी शिक्षा, सुलभ सम्पर्क, समुचित सुरक्षा”
एवं “स्काउट भावनाओं के साथ”

भवदीय
(रवीन्द्र मोहन काला)
प्रादेशिक सचिव

पृष्ठाकन सं0/उ0भा0स्का0गा0/प्रा0मु0/

/2023-24

दिनांक उक्तवत

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1-प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट्स/गाइड्स उत्तराखण्ड एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 2-प्रादेशिक आयुक्त (स्का0) भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड एवं संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 3-प्रादेशिक आयुक्त (गा0) भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड एवं निदेशक, आकदमिक शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
- 4-प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्का0/गा0) भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड।
- 5-समस्त जिला सचिव, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र मोहन काला)
प्रादेशिक सचिव



पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क का विवरण
सरकारी, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों हेतू—
तालिका "अ"

क्र०सं०	विवरण मदवार	प्रति विद्यालय कुल राशि	जनपद खाते में	ब्लॉक खाते में	प्रादेशिक संस्था के खाते में
01	कब पैक (24)	400/	60/	20/	320/
02	बुलबुल फ्लॉक (24)	400/	60/	20/	320/
03	स्काउट टूप (32)	400/	80/	20/	300/
04	गाइड कम्पनी (32)	400/	80/	20/	300/

सी०बी०एस०ई० , आई०सी०एस०ई० एवं महाविद्यालयों हेतू
तालिका "ब"


क्रम संख्या	विवरण मदवार	प्रति विद्यालय कुल राशि	जनपद खाते में	ब्लॉक खाते में	प्रादेशिक संस्था के खाते में
01	कब ग्रुप (52)	1590/	180/	60/	1350/
02	बुलबुल ग्रुप (52)	1590/	180/	60/	1350/
03	स्काउट ग्रुप (68)	1590/	240/	60/	1290/
04	गाइड ग्रुप (68)	1590/	240/	60/	1290/
05	रोवर कू ग्रुप (52)	1740/	300/	150/	1290/
06	रेंजर टीम ग्रुप (52)	1740/	300/	150/	1290/

- उक्त में से सी०बी०एस०ई० एवं आई०सी०एस०ई० विद्यालय जहां छात्र संख्या 50 से कम हों जिला सचिव अथवा ब्लॉक सचिव ग्रुप के स्थान पर तालिका "अ" के अनुसार ईकाइ पंजिकृत कर सकते हैं।
- सरकारी, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों में भी स्वेच्छा से आवश्यकतानुसार तालिका "ब" के अनुसार ग्रुप पंजिकृत करा सकते हैं।

नोट— 1—केवल उक्तानुसार (तालिका "अ" अथवा तालिका "ब") ही ईकाइयों का पंजीकरण/नवीनीकरण किया जायेगा। अन्य पूर्व प्रचलित या किसी भी प्रकार की विधि से पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

2—ब्लॉक सम्बद्धता शुल्क -150/रुपया प्रति ब्लॉक प्रति वर्ष

3—जनपद सम्बद्धता शुल्क -300/रुपया प्रति जनपद प्रति वर्ष


प्रशासनिक अधिकारी
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

